(वाद संख्या–108/17)

06.01.2020

मृत बंदी, गुड्डु राय, के निकट सम्बन्धी उपस्थित हैं।

अधीक्षक, मंडल कारा, सारण, छपरा, श्री मनोज कुमार सिन्हा, उपस्थित हैं।

अधीक्षक, मंडल कारा, सारण, छपरा की ओर से समर्पित प्रतिवेदन के अनुसार मृत बंदी, गुड्डु कुमार यादव को दाउदपुर थाना कांड सं0–143/17 के अन्तर्गत दिनांक–21.07.2017 को षष्टम् अपर सत्र न्यायालय, सारण, द्वारा निर्गत अभिरक्षा अधिपत्र के साथ मंडल कारा, छपरा भेजा गया था। उक्त अभिरक्षा अधिपत्र पर माननीय न्यायालय द्वारा लाल स्याही में निम्नलिखित पृष्ठांकित किया गया हैः–

''अभियुक्त के पैर सहित पुरे शरीर में जख्म है, जेल अधीक्षक समुचित ईलाज करावें, लेखापित–अपर जिला न्यायाधीश–5(1)''।

जेल अधीक्षक द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि माननीय न्यायालय के आदेश व बंदी की शारीरिक हालत को देखते हुए उसे सर्वप्रथम कारा अस्पताल में ईलाज हेतु रखा गया। तत्पश्चात् दिनांक–24.07.2017 को कारा चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा उसे सदर अस्पताल, छपरा रेफर कर दिया गया तथा उसी दिन उसे छपरा सदर अस्पताल में ईलाज हेतु भेज दिया गया। अगले दिन दिनांक–25.07.2017 को सदर अस्पताल, छपरा से उसे पी0एम0सी0एच0, पटना रेफर किया गया, जहां दिनांक–26.07.2017 को ईलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी। द0प्र0स0 की धारा, 176 के प्रावधानानुसार प्रसंगाधीन मामले का न्यायिक दण्डाधिकारी, छपरा द्वारा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, छपरा के आदेश के आलोक में जांच किया गया। उनके द्वारा साक्षियों के बयान तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मृत बंदी गुड्डु कुमार यादव के मृत्यु के संबंध में यह मन्तव्य दिया गया है कि **मृत बंदी गुड्डु कुमार यादव की मृत्यु अप्राकृतिक कारणों से पुलिस अभिरक्षा में मार–पीट के कारण हुई है।**

मृत बंदी, गुड्डु कुमार यादव, के चाचा, विश्वकर्मा राय, की ओर से आयोग के समक्ष इस आशय का एक आवेदन दिया गया है कि स्थानीय प्रोपर्टी डीलर (1) केदार सिंह, (2) दिलीप सिंह एवं (3) वालेश्वर महतो द्वारा दाउदपुर थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष के साथ साजिशपूर्वक मिलकर, दाउदपुर थाना परिसर में पेड़ से बांधकर मृत बंदी, गुड्डु राय, के साथ दिनांक–20.07.2017 को मार–पीट की

गयी, जहां से उसे छपरा नगर थाना में ले जाकर दिनांक–21.07.2017 को छपरा के तत्कालीन आरक्षी अधीक्षक, अनसुईया रण सिंह साह ने मृत बंदी, गुड्डु राय के दोनो हाथ को बांधकर लोहे के रड से उसकी हत्या करने के उद्देश्य से मार–पीट किया, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया।

मृत बंदी के रिश्तेदार द्वारा जेल प्रशासन पर मृत बंदी, गुड्डु कुमार यादव के साथ मार–पीट किये जाने का कोई आरोप नहीं लगाया गया है और न ही न्यायिक मजिस्ट्रेट के जांच प्रतिवेदन में ही जेल प्रशासन पर कोई प्रतिकूल टिप्पणी की गयी है।

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर पूर्ण विचार करते हुए प्रसंगाधीन घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक, सारण, छपरा से घटना के विस्तृत जांच प्रतिवेदन की मांग किया जाना उचित प्रतीत होता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश व आज समर्पित जेल अधीक्षक, मंडल कारा, छपरा के प्रतिवेदन, न्यायिक मजिस्ट्रेट के जांच प्रतिवेदन व मृत बंदी के निकट रिश्तेदार विश्वकर्मा राय द्वारा आयोग के समक्ष दिये गये आवेदन (पृ0–46–47/प0) की प्रति के साथ पुलिस अधीक्षक, सारण, छपरा से प्रसंगाधीन मामले के संबंध में दिनांक–25.02.2020 के पूर्व विस्तृत जांच–प्रतिवेदन की मांग किया जाय।

आज परिवादी व जेल अधीक्षक, सारण, छपरा की उपस्थिति में आदेश पारित किया गया है। अतः अगली तिथि की सूचना के संबंध अलग से परिवादी को सूचित करने की आवश्यकता नहीं है।

संचिका दिनांक– 05.03.2020 को उपस्थापित किया जाय।

ह0/–

(उज्ज्वल कुमार दुबे)

कार्यकारी अध्यक्ष

<u>सहायक निबंधक</u>